

17.05.2022:—आज यह पत्रावली पेशी मे लिगई। प्रार्थी ने निवेदन किया की मूल वादपत्र मे निर्णय होगया है। इस कारण उक्त प्रार्थना-पत्र में कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाती है। इस कारण प्रार्थी का उक्त प्रार्थना-पत्र खारिज फरमाया जावे। अतः प्रार्थना-पत्र मूल वादपत्र मे निर्णय होने के कारण कोई कार्यवाही शेष नही होने के कारण प्रार्थना-पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफतर हो।

सत्यमेव जयते

सहायक क्लर्क
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

